

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत)
FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr.P.C.)

1. जिला:-भोपाल थाना:-ई.ओ.डब्ल्यू.भोपाल वर्ष:-2019 प्र.सू.प.क्र. 47 / 19 दिनांक-15.11.2019
2. (1) विधान/धाराएं :- धाराएं :- 409,120 (बी) भादवि
(2) विधान :- धाराएं :-
(3) विधान :- धाराएं :-
(4) अन्य विधान :-
3. (अ) सन्दर्भित रोजनामचा सान्हा क्र
(ब) घटना का दिन :- वर्ष नवम्बर 2002 से वर्ष 2016 तक
(स) थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक- 15.11.2019 समय- 18:30 बजे,रो.सा. 207
4. सूचना का प्रकार लिखित/मौखिक - लिखित
5. घटना स्थल :-
(अ) थाने से दिशा व दूरी :- पश्चिम लगभग 07 कि.मी.
(ब) घटना स्थल का पता :- चूना भट्टी, जिला भोपाल
(स) घटना स्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार है तो थाना :-
6. अभियोगी/सूचनाकर्ता : (अ) नाम :- सईद अहमद कुरैशी
(ब) पिता/पति/पालक का नाम :- श्री सिराज अहमद कुरैशी
(स) जन्म दिनांक/उम्र- 49 वर्ष (ड) राष्ट्रीयता :- भारतीय
(द) पासपोर्ट नं. जारी दिनांक जारी होने का स्थान
(क) व्यवसाय :- शासकीय नौकरी
(ख) पता :- आरक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल- (म.प्र.)
7. ज्ञात/अज्ञात/संदेही/आरोपी का पूर्ण विवरण:-
(1) श्री एस.एन.शर्मा पुत्र श्री जानकीनाथ शर्मा
(2) श्री रामनाथ शर्मा पुत्र श्री एस.एन.शर्मा
(3) श्री श्यामनाथ शर्मा पुत्र श्री एस.एन.शर्मा
(4) श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नि श्री आश्विनी शर्मा सभी निवासी ई 5/137, अरेरा कालोनी भोपाल।
8. अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिये जाने में विलम्ब का कारण :- जॉच पर से
9. अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण
10. अपहृत/सम्बद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. मर्ग/अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक (यदि हो)
12. प्रथम सूचना विवरण :- (आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ का प्रयोग करें)

मैं थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल में निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 15.11.2019 को सईद अहमद कुरैशी, वरि.आरक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल के द्वारा एक टाईपशुदा एवं श्री हरिओम दीक्षित, निरीक्षक, इकाई भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित देहाती नालिसी क्रमांक 0/19 धारा- 409,120 (बी) भादवि, प्रकोष्ठ इकाई भोपाल से

देहाती नालसी

1	थाना	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल (म.प्र.)।
2	अपराध क्रमांक	07/19, धारा=420, 120-(बी)-भा0द0वि0
3	घटना स्थल	चूना भट्टी, जिला भोपाल
4	घटना का समय	वर्ष जवम्बर 2002 से वर्ष 2016 तक
5	प्राप्त सूचना दिनांक	06.06.2019 शिकायत क.183/19
6	स्थान सूचना	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई भोपाल
7	देहाती नालसी लेख करने का दिनांक	14/11/2019
8	सूचनाकर्ता	हरिओम दीक्षित निरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल
9	थाने से घटनास्थल की दिशा एवं दूरी	लगभग 7 कि०मी० पश्चिम की ओर
10	नाम आरोपीगण	1) श्री एस.एन.शर्मा पुत्र श्री जानकीनाथ शर्मा (2) श्री रामनाथ शर्मा पुत्र श्री एस.एन.शर्मा (3) श्री श्यामनाथ शर्मा पुत्र श्री एस.एन.शर्मा (4) श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नि श्री आश्विनी शर्मा सभी निवासी ई 5/137, अरेरा कालोनी भोपाल।

विवरण

मैं हरिओम दीक्षित आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई भोपाल में आवेदक सुरेश कुमार जेसवानी पुत्र श्री केवलराम जेसवानी निवासी 265, प्रभुनगर ईदगाह हिल्स भोपाल द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2019 प्रस्तुत कर अनावेदकगण श्री श्यामनाथ शर्मा आत्मज श्री एस.एन.शर्मा निवासी ई-5/137 अरेरा कालोनी भोपाल एवं अन्य के द्वारा शासकीय संपत्ति एवं राशि को हड़पने तथा फर्जी एवं कूटनीतिक दस्तावेज तैयार कर शासन को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने की शिकायत की गई थी जिसे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में शिकायत क्रमांक 183/19 पर पंजीबद्ध किया गया एवं इकाई भोपाल में मुझे जाँच हेतु सौंपा गया। मेरे द्वारा उक्त आवेदन पत्र की जाँच के दौरान संकलित विभिन्न दस्तावेज संकलित किये तथा गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए।

जाँच में पाया गया कि आरोपीगण श्री रामनाथ शर्मा पुत्र श्री एस.एन.शर्मा, श्री एस.एन.शर्मा पुत्र श्री जानकीनाथ शर्मा, श्री श्यामनाथ शर्मा पुत्र श्री एस.एन.शर्मा एवं श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नि श्री आश्विनी शर्मा नियम विरुद्ध निवासी ई 5/137, अरेरा कालोनी भोपाल म.प्र. द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से अनुबंध कर निर्माण किये गये हैं जिसमें षडयंत्रपूर्वक शासन को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से क्षेत्रफल का उल्लेख इस आशय से नहीं किया गया ताकि सार्वजनिक भूमि पर निर्माण किया जा सके। उक्त अवैधानिक कब्जा कर शिकायत पत्र में की गई जाँच में परिलक्षित हुआ है कि उक्त अनावेदकों द्वारा अधिकृत मुख्तारआम एवं स्वयं श्री राकेश मलिक व्यस्क पुत्र श्री जगप्रवेश मलिक निवासी ई 4/40, अरेरा कालोनी भोपाल म.प्र. के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बताकर ग्राम चूना भट्टी

गई। शासन को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त अनुबंध पत्र के आधार पर विक्रय पत्र संपादित कर शासन को पंजीयन शुल्क/मुद्रांक शुल्क की भारी क्षति पहुंचाई गई है।

प्रकरण में की गई जांच में यह भी प्रथम द्रष्टया प्रमाणित है कि न्यू कृषि नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के अध्यक्ष श्यामनाथ शर्मा द्वारा विक्रेतागणों को खसरा क. 103/11, 111/11/4/1 का अंश भाग (मुख्य मार्ग से लगाकर) जो कि ग्राम चूनागढ़टी कोलार रोड भोपाल तहसील हुजूर जिला भोपाल में वार्ड क्रमांक 49 में नगर पालिका निगम की सीमाओं के अंदर की भूमि विभिन्न विक्रेताओं को विक्रय की है, परंतु उनके द्वारा उक्त विक्रय पत्र संपादित करते समय यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त भूमि का कुल कितना रकबा किस विक्रय पत्र के माध्यम से किस कृषक से कब कय किया गया है न ही ऐसे कृषकों से खरीदी भूमि का विक्रय का कोई उल्लेख किया गया है। अतः उक्त न्यू कृषि नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. भोपाल द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक ऐसे विक्रय पत्र संपादित कर शासन को मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क, एवं विभिन्न अनुमतियों के शुल्क को जमा नहीं कर म.प्र. शासन को भारी आर्थिक क्षति कारित की है।

प्रकरण में की गई जांच में यह भी स्पष्ट है कि मेसर्स हरेकृष्ण कॉलोनाइजर के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रामनाथ शर्मा पिता श्री एस एन शर्मा द्वारा एक अनुबंध पत्र पांच व्यक्तियों से दिनांक 14.11.2002 को उप पंजीयक कार्यालय भोपाल में पंजीकृत कराया जिसमें अनुबंध अनुसार निर्माण हरेकृष्ण कॉलोनाइजर्स को करना था तथा शेष व्यक्ति भू स्वामी थे। उक्त पक्षकारों की भूमि, को उक्त कॉलोनाइजर्स को केवल विकसित करना था एवं विक्रय पत्र का पंजीयन नियमानुसार भू स्वामी को करना था अथवा हरेकृष्ण कॉलोनाइजर्स को अपने नाम विक्रय पत्र संपादित कराना था तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क अदा करना था। उक्त भूमि को विकसित कर छोटे छोटे भूखण्ड एवं बने हुए भवन बनाकर हरेकृष्ण कॉलोनाइजर द्वारा सीधे क्रेताओं को विक्रय कर दिये गये। नियमानुसार अनुबंध पत्र से स्वत्व का अंतरण नहीं होता है। इस प्रकार की गई जांच से यह प्रथम द्रष्टया प्रमाणित है कि आरोपीगणों के द्वारा म.प्र.शासन को हानि पहुंचाने के आशय से एकराय होकर अनुबंध के द्वारा संपत्ति का अंतरण कर म.प्र. शासन को आर्थिक क्षति कारित की है।

प्रकरण में की गई जांच में यह तथ्य भी प्रकटित हुआ है कि उपरोक्त आरोपीयों द्वारा उपरोक्त विभिन्न सहकारी समितियां बनाकर कम रकबे का डायवर्सन करा कर अधिक निर्माण किया गया शासन द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता के नियम 177 के अंतर्गत कब्जे में ली गई भूमि को उपरोक्त विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय कर एवं निष्क्रान्त भूमि पर अवैधानिक कब्जा कर उनको विक्रय कर दिया गया है, जिससे म.प्र. शासन को भारी आर्थिक क्षति कारित हुई है। अतः प्रकरण में की गई जांच से यह प्रथम द्रष्टया प्रमाणित है कि आरोपीगण द्वारा श्री एस.एन. शर्मा, श्री रामनाथ शर्मा, श्री श्यामनाथ शर्मा, श्रीमती कुसुम शर्मा एवं अन्य के द्वारा एकराय होकर छलपूर्वक अवैधानिक अनुबंध करते हुए, अवैधानिक कब्जा करते हुए म.प्र. शासन को विभिन्न शुल्क जमा न कर आर्थिक क्षति कारित कर भारतीय दंड संहिता की धारा-420, 120बी का अपराध कारित किया है।

अतः आरोपीगण (1) श्री एस.एन.शर्मा आत्मज श्री जानकीनाथ शर्मा, (2) श्री रामनाथ शर्मा आत्मज श्री एस.एन.शर्मा (3) श्री श्यामनाथ शर्मा आत्मज श्री एस.एन.शर्मा (4) श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नि श्री आश्विनी शर्मा सभी निवासी ई 5/137, अरेरा कालोनी भोपाल एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-420, 120बी का अपराध अपराध प्रथम दृष्टया कारित करने के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने प्रकरण पंजीबद्ध हेतु देहाती नालसी पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु प्रेषित है।

(हरिओम दीक्षित)

निरीक्षक

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ

हस्ताक्षर— हरिओम दीक्षित, निरीक्षक/जांचकर्ता, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), भोपाल (म.प्र.)। देहाती नालिसी पर से थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल में उपरोक्त वर्णित आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 47/19, धारा— 409,120 (बी) भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

13. कार्यवाही जो की गई :- उपरोक्त विवरण में से धारा—409,120 (बी) भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा को प्रकरण विवेचना हेतु सौंपा गया, या क्षेत्राधिकार के दृष्टिगत थाना जिला को स्थानान्तरित किया गया या द.प्र.स. की धारा—157—“ब” के अन्तर्गत कार्यवाही की गई—। अभियोगी/सूचनाकर्ता को प्र.सू. पत्र पढ़वाकर/पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिलिखित होना स्वीकार किया, इसकी एक प्रति सूचनाकर्ता को निः शुल्क प्रदाय की गयी।

हस्ताक्षर— प्रभारी अधिकारी

नाम— डॉ० दिनेश जोशी

पद— थाना प्रभारी

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल
(नं.यदि है)

अभियोगी /सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा
जा.क./थाना/ई.ओ.डब्ल्यू./ 311 /19, भोपाल,
प्रति,

दिनांक—15.11.2019

माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।

दैनिक भास्कर

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वव्यापी और नंबर 1 प्रकाशक

कुल पेज *34, डीबी स्टार के साथ, मूल्य ₹ 6.00 | वर्ष 63, अंक 101, महानगर

DainikBhaskar.com

भोपाल, शनिवार 23 नवंबर, 2019

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष- 12, 2076

12 राज 65 संस्कृत

सरकारी जमीन पर बिल्डर ने काटे प्लॉट, चार के खिलाफ ईओडब्ल्यू में एफआईआर

क्राइम रिपोर्टर | भोपाल

फर्जी दस्तावेजों से चूनाभट्टी स्थित सरकारी जमीन बेचने वाले बिल्डर बंधुओं समेत अन्य के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज किया है। इससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज करने की ये कार्रवाई ईदगाह हिल्स निवासी सुरेश कुमार जेसवानी की शिकायत पर की है। सुरेश ने लिखित शिकायत के जरिए बताया था कि अरेरा कॉलोनी निवासी श्यामनाथ शर्मा समेत अन्य ने चूना भट्टी में शासकीय जमीन पर न केवल कब्जा किया बल्कि प्लॉट काटकर उसे बेच भी दिया गया।

समिति बनाकर कराया निर्माण

जांच के दौरान एजेंसी ने पाया कि साजिश के तहत जमीन के क्षेत्रफल का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया, ताकि सरकारी जमीन पर निर्माण किया जा सके। आरोपियों ने अलग-अलग सहकारी समितियां बनाकर कम रकबे का डायवर्सन करवाकर अधिक निर्माण भी करवाया गया। इस आधार पर जांच एजेंसी ने एसएन शर्मा, रामनाथ शर्मा, श्याम नाथ शर्मा, कुसुम शर्मा व अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।